Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

ओमप्रकाश वगैo बनाम शम्भूलाल वगैo

किस्म मुकदमा.................225 आर टी एक्ट............अपील संख्या 26/2025

GCMS NO 2025/----------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.3.25	अपील श्री रिषीराम मीना अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी बामनवास के प्रकरण संख्या 23/25 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.3.2025 के विरूद्व पेश की गई है। जिसके अनुसार प्रार्थी/रेस्पो0 शंम्भू पुत्र घासीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट/अप्रार्थीगण को भूमि ख0न0 692 रकबा 0.46 है0 ग्राम सांचोली तहसील बामनवास की मौके यथास्थिति आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.3.2025 तक बनाये रखे जाने एवं प्रार्थी/रेस्पो0 के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करने के आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश नही होकर अंतरिम आदेश है। जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। चूकि: अभी प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे तलबी अप्रार्थीगण/अपीलांट मे विचाराधीन है। इस प्रकार न्यायहित मे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नियत दिनांक को अपीलांट/अप्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन करते हुए अन्दर 2 माह मे प्रकरण का अंतिम निस्तारण करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्रस्तुत करे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner